राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः प.172 / मुसप्र / स.प.कार्य / 2012 / 12909 दिनांकः– 5-3-12

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखने में आया है कि संस्थागत भूमि आवंटन व राज्य सरकार के निर्देशों पर नियम 8(A) तथा अन्य विशिष्ट प्रकरणों में निःशुल्क या कीमतन आवास आवंटन के संबंध में निर्देश जारी किये जाने के पश्चात् संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों (उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियंता) द्वारा मुख्यालय के निर्देशों की पालना में उक्त आवंटनों के संबंध में समय–समय पर की जा रही निम्न पश्चात्‌वर्ती कार्यवाही या तो समय पर / तत्काल नहीं की जाती है या की गई कार्यवाही से समय पर मुख्यालय को सूचित नहीं किया जाता हैः–

1. आवंटन आदेश जारी करना।
2. मांग पत्र जारी करना। (यदि आवश्यक हो)
3. संबंधित आवंटी द्वारा राशि जमा कराना (यदि कोई हों)।
4. आवासन मंडल द्वारा आवंटी को भूमि / आवास का कब्जा दिया जाना।
5. आवंटन पत्र की शर्तो की समय–बद्ध पालना कराना।
6. शर्तो की पालना नहीं होने पर निर्धारित प्रक्रियानुसा आवंटन निरस्त किया जाना।
7. आवंटी को देय राशि का रिफण्ड करना।
8. आवंटन निरस्त करने के बाद भूमि / आवास का वापस कब्जा लिया जाना।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि ऐसे प्रकरण में मुख्यालय से आवंटन संबंधी निर्देश जारी होने के पश्चात् तत्काल उनकी पालना में नियमानुसार उक्त सभी कार्यवाहियॉ समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करे व ऐसे प्रत्येक प्रकरण में की गई पश्चात्‌वर्ती कार्यवाही की / पालना रिपोर्ट मुख्यालय को तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

इस संबंध में किसी भी विलम्ब अथवा कोताही के लिये संबंधित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियंता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव – अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव – आवासन आयुक्त, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता / सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक विधि, रा0 आ0 म0, जयपुर।
4. अति.मुख्यअभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय,पी.एण्ड एम.,रा0आ0म0,जयपुर।
5. तकनीकी सहायक–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त / मुख्य अभियंता, रा0आ0म0, जयपुर
6. समस्त उप आवासन आयुक्त–वृत–.................... रा0आ0म0, ...
7. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड–......................रा0आवम0, ...
8. जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
9. ए.सी.पी., रा0आ0म0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि mail करें व web site पर डालें।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक